पंचदश माला, खंड 26, अंक 32

शुक्रवार, 18 मई, 2012
28 वैशाख, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 26 में अंक 31 से 34 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/26/32/2012 (एन०)
230

©2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 32, शुक्रवार, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 601 से 604	2–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 605 से 620	32–87
अतारांकित प्रश्न संख्या 6901 से 7130	88–611
सभा पटल पर रखे गए पत्र	611–619
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	620
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
(एक) 14वां और 15वां प्रतिवेदन	620
(दो) विवरण	620
रेल अभिसमय समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	621
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
20वें से 21वां प्रतिवेदन	621
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
222वें से 228वां प्रतिवेदन	621
कार्य मंत्रणा समिति	
39वां प्रतिवेदन	621

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कॉलम

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक)(क) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित ''जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का संवर्धन'' के बारे में समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित ''पर्यटन अवसंरचना तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए सुविधाओं का विकास'' के बारे में समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री सुल्तान अहमद 623

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कर्नाटक में भीषण सूखे से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रहलाद जोशी 624

श्री हरीश रावत 624

श्री अनंत कुमार 630

श्री शिवराम गौड़ा 633

श्री शिवकुमार उदासी 634

श्री शैलेन्द्र कुमार 634

सदस्यों द्वारा निवेदन

राजधानी एक्सप्रेस में परोसे गए भोजन के कारण यात्रियों के बीमार होने के बारे में 646–655

रेल संपत्ति (विधि-विरूद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011

विचार करने के लिए प्रस्ताव 655

श्री कमल किशोर 'कमांडो' 656

विषय	कॉलम
डॉ. तरूण मंडल	658
श्री के.एच. मुनियप्पा	659
खंड 2 से 4 और 1	662
पारित करने के लिए प्रस्ताव	663
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2012	663
नियम 193 के अधीन चर्चा	
खाद्यान्नों की खरीद की दोषपूर्ण नीति तथा उनके भंडारण की अपर्याप्त सुविधाओं से उत्पन्न स्थिति	
श्री शरद यादव	664–672
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	672
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(एक) देश के प्रदेशों हेतु विशेष आर्थिक विकास पैकेज	
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	673
श्री नारनभाई कछाड़िया	674
श्री अश्विनी कुमार	676
संकल्प—वापिस लिया गया	680
(दो) बिहार के मोतिहारी जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	
श्री ओम प्रकाश यादव	680
श्री अधीर चौधरी	684
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	687
श्री शैलेन्द्र कुमार	691
श्री विजय बहादुर सिंह	695
श्रीमती मीना सिंह	698
श्री महाबल मिश्रा	699
डॉ. भोला सिंह	702

विषय	कॉलम
श्री जगदानंद सिंह	706
श्री सतपाल महाराज	711
श्रीमती रमा देवी	713
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	717
श्री अर्जुन राम मेघवाल	719
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	739-740
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	739-758
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	759-760
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	759-762

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

क्र

*

*

क्र

*

क्र

III

.

.

क्र

क्र

क्र

क्र

*

क्र

ह्ल

ह्ल

*

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

SRE

क्र

क्र

www.cibil.com

क्र

क्र

*

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

*

क्र

क्र

* * *

* * *

*

*

क्र

*

*

क्र

क्र

क्र

(iv)

क्र

क्र

क्र क्र क्र

(i)

(ii)

(iii)

क्र

(iv)

(v)

(vi)

क्र क्र

क्र

(i) (vii)

(ii)

(iii)

क्र

क्र

क्र

क्र

*

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

ह्ल

क्र

क्र

(ii)

क्र

(i)

(iii)

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

*

क्र

(vi)

क्र

(v)

(vi)

क्र

*

(i)

(ii) क्र

(iii)

(i)

(ii)

क्र

*

(iii)

(iv)

(v) क्र

क्र

क्र क्र

*

क्र

क्र

क्र

*

*

I

II

क्र

I

क्र

क्र

क्र

II

क्र

क्र

क्र

क्र

*

क्र

क्र

I

क्र क्र *

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

I

II

क्र

क्र

I

II

I

II

क्र

II

क्र

I

I

क्र

*

*

*

*

*

*

*

*

II

क्र

क्र

क्र

क्र

6904

क्र

क्र

क्र

क्र

http://wcd.nic.in

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

(iii)

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

XII

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

1	2	3
	हस्तांतरण के किसी प्रस्ताव को प्रारंभ करने से पहले आवश्यक सभी कदम उठाए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी भूमि के हस्तांतरण द्वारा सर्वोत्तम कीमत प्राप्त हो सके। इसमें स्पष्ट मालिक होने की आवश्यक, बिक्री अनुमति तथा यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो संबंधित राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय के परामर्श के बाद सर्वाधिक सर्वो त्तम भूमि उपयोग परिवर्तन करना भी शामिल है। उपरोक्त के मद्देनजर यह अत्यावश्यक है कि जब भूमि का हस्तातंरण बिक्री के माध्यम से होता है, एक पारदर्शी नीलामी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।	
59.	समिति का विचार है की दीर्घावधिक लीज करार के मुकाबले भूमि के तत्काल बिक्री की नीति को वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि लीज अवधि का अंत समीप आने पर उसे वापिस लेने अथवा मसूंख करने में कठिनाई होती है। लीज मामलों में नीति इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें दीर्घावधिक लीज करने से पहले हस्तांतरण की तिथि को भूमि के अनुमानित बिक्री मूल्य को पहले ले लेना विनिर्दिष्ट हो तथा उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष लीज की सांकेतिक राशि ली जाएं।	स्वीकृत
60.	समिति यह समझती है कि केन्द्र सरकार के संगठन द्वारा भूमि हस्तांतरण के सभी मामलों की देख-रेख व निगरानी हेतु निगरानी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय निगरानी निकाय की तत्काल आवश्यकता है। भूमि अभिलेखों की केंद्रीय डिपास्टिरी भी इस उच्च-स्तरीय निगरानी निकाय के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। यह सार्वजनिक भूमि परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में सुधरी हुई जवाबदेही तथा पारदर्शिता लाएगा।	स्वीकृत
61.	समिति ने यह भी पाया है कि सम्पूर्ण तथ्यों की व्यापक जांच के उपरांत केन्द्र सरकार एक विभाग अथवा संगठन से केन्द्र सरकार के अन्य विभाग अथवा संगठन को भूमि के किसी विनिमय अथवा अधिदेश भूति के हस्तांतरण की निगरानी करने अथवा अनुमति देने हेतु एक भूमि विनिमय प्रबंधन समिति की तत्काल आवश्यकता है। यह निकाय केन्द्र सरकार के संगठन द्वारा संबंधित राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय से अधिशेष भूमि के एक विशेष टुकड़े के बदले कहीं और किसी अन्य भूमि के उचित टुकड़े से विनिमय की भी अनुमति देगा। यह भूमि निकाय भूमि विनिमय के प्रत्येक अनुरोध की जांच करेगा तथा गुणों के आधार पर निर्णय करेगा। इसकी अध्यक्षता सचिव, शहरी विकास मंत्रालय करेंगे तथा इसमें वित्त मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा विधि कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन भूमि स्वामी पैरास्टाटल तथा हाउसिंग बोर्डों द्वारा भूमि हस्तांतरण।	मंत्री समूह ने सचिवीय समिति की सिफारिश को, भूमि विनियम प्रबंधन समिति को लोक क्षेत्र भूमि प्रबंधन समिति का नया नाम देते हुए, स्वीकार कर लिया।
62.	समिति के विचार में सभी भूमि संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शनों अथवा नीति के रूप में पारदर्शिता तथा स्पष्टता होनी चाहिए जिसमें ऐसी प्रणाली होनी चाहिए	स्वीकृत

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

I

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र क्र

क्र

×

क्र

×

×

II

×

×

II

×

×

II

×

×

(i)

(ii)

×

×

×

×

×

II ×

II

II

क्र

(i)

(ii)

(i)

(ii)

(iii)

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

×

×

V

क्र

क्र

क्र

III

III

	II	III

क्र

क्र

क्र क्र

क्र

क्र

क्र (i)

(ii)

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

(ii)

(i)

क्र

*

*

3×17+3×21.25

1×110+7×100.8

5×108+5×157

6×39

6×165

39.20

II I

2×50

6×50

II I

3×40

3×18

6×50

क्र

4×100

IV

4×250

2×15

2×35+1×25

3×12

5×50

I

6×60+2×75

2×49.5+2×32+
3×37.5+3×24

I
3×9

I
4×9

.

क्र

क्र	

क्र

II

क्र

क्र

क्र क्र

क्र क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

*

* क्र

क्र क्र

क्र क्र क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र
क्र

क्र

क्र

क्र

#

#

क्र

क्र

क्र

क्र

*

*

	*
	*

*

[illegible]

E	E

	E	E	E	E	E	

III

III

क्र

II

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र क्र

क्र

*

*

(iv)

।

क्र II, III, IV V

I

क्र

(i)

(ii)

(iii)

क्र

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

II

क्र

III

क्र

VI

क्र

V

क्र

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

क्र

(v)

क्र

क्र

क्र

क्र	क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र क्र

क्र

(ii)

(iii)

(iv)

(v) क्र

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

II

III

I

II

क्र			

III

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

(i)

(ii)

क्र

क्र

(iii)

क्र

क्र
क्र

क्र

क्र
क्र

क्र

वर्ष

क्र

I

II

I

II

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

क्र

(v)

(vi)

(xi)

(vii)

(xii)

(viii)

(ix)

क्र

(x)

.

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

(i)

(ii)

क्र क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र	
क्र	

क्र

$

$

$

क्र

क्र

*

*

	*	*

*

क्र

क्र

(i)

(ii)

(iii)

(iv) क्र

.

क्र

क्र

II ×

× ×

-

क्र	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

क्र

II × ×

क्र

क्र

ह्ल

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

(i)

(ii)

(iii)

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

II

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र क्र

क्र

क्र

क्र

(i)

(ii)

(i)

(ii)

(iii)

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

II

II

I

II

II

II

II

III

III

II

क्र I

IV

IV

क्र

क्र

क्र

I

I

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

I II

I

क्र		

II

क्र

क्र

II

II

क्र

क्र

(i)

(ii)

II

I

II

क्र

I

#

II

क्र

क्र

(i) क्र

(ii)

(iii)

(iv)

क्र

ह्ल

क्र

ह्ल

ह्ल

क्र

क्र

क्र

II

(i)

क्र

(ii)

क्र

क्र

क्र III

IV

III

I

I

क्र

° ° ° °

क्र III

II

III

II

क्र

III

III

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

	क्र
	क्र
	क्र
	क्र
	क्र
	क्र
	क्र
	क्र
	क्र
	क्र
	क्र
	क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

*

*

क्र

क्र -

क्र

I

II

(i)

(ii)

क्र (iii)

(iv)

(v)

(vii)

I

=

II

क्र

क्र

=

क्र

क्र

www.rbi.org.in

क्र

क्र क्र

क्र क्र

क्र

क्र

(i)

क्र (ii)

(iii)

क्र

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

क्र		

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

क्र

(i)

I

II

क्र

क्र

क्र

II

क्र

क्र क्र

क्र I II

.

क्र III IV

I

क्र

(i)

(ii)

(iii)

II

क्र

(i)

(ii)

(iii)

III

क्र

IV

क्र

क्र

.

I

II

I

*

क्र					

II

क्र

क्र

क्र

I-XIII

(ii)

.

क्र

क्र

(ii)

क्र (iii)

(iv)

(i)

(ii)

(iii) (iv)

(v) (vi)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(i)

(ii)

(iii)

(i)

(ii)

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र			

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र
क्र

क्र

क्र

क्र I II

I

II

क्र					
	*	*	*	*	#

*

#

I II

II

I

XV

XVI

XVII

क्र			
	XV:	XVI:	XVII:

II

क्र

III

क्र	

क्र

क्र

*

क्र

.

III

क्र

क्र

क्र

क्र

(i)

क्र

(i)

(ii)

(iii)

क्र

(iv)

क्र

क्र क्र

क्र

*

*

क्र

क्र

क्र

I

II

I

क्र

II

क्र

क्र

क्र

क्र क्र क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र				

क्र

(ii)

(iii)

क्र

क्र

(iv)

क्र

I

क्र

II

I

क्र

क्र

क्र

क्र क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

III

क्र

(viii)

(ix)

क्र

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

क्र

क्र

¼

½

½

*

*

क्र

क्र

क्र

---

*

क्र

[श्री प्रहलाद जोशी]

एसडीआरएफ के लिये धनराशि प्रदान करनी होगी। सूखा इतना ज्यादा है कि पीने का पानी नहीं है और किसान अपने मवेशी बेचने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु खरीदार ही नहीं हैं। कुछ किसान अपने मवेशियों को बूचड़खानों में भेजने को मजबूर हो रहे हैं। यहां स्थिति ऐसी है। आप अपने वक्तव्य में उद्धरण दे रहे हैं कि अतिरिक्त वि त्तीय सहायता के मामले में, इस प्रकार की गंभीर स्वरूप की प्राकृतिक आपदाओं हेतु एसडीआरएफ को एनडीआरएफ से काफी अधिक तरजीह दी जाती है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसे देश की अत्यंत गंभीर स्वरूप की आपदा मानते हैं या नहीं। क्या कर्नाटक केन्द्र सरकार के नक्शे में मौजूद नहीं है? इस सब के बारे में बात करने का क्या लाभ है? बहुत ही ढुलमुल रवैया है। जब ज्ञापन दिसंबर में ही प्रस्तुत किया गया तो उस समय ही केन्द्रीय दल भेजा गया था। उसके पश्चात् लगभग 2700 करोड़ रु. की हानि का अनुमान लगाया गया था और 723 करोड़ रु. की राहत मांगी गई। जब केन्द्रीय दल भेजा गया तो उसने 15 से 18 दिसंबर, 2011 तक समूचे कर्नाटक राज्य का दौरा किया था। उसके पश्चात् उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसकी ही रिपोर्ट और आपके वक्तव्य के अनुसार ही केन्द्रीय दल ने 296.58 करोड़ रु. की राशि की संस्तुति की थी। अन्ततः, भारत सरकार ने 180 कराड़ रु. की राशि कर्नाटक राज्य के लिये अनुमोदित की जिसमें से 70.23 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई और मौजूदा मानदंडों के अनुसार एसडीआरएफ शेष से 116 करोड़ रु. की राशि का समायोजन किया गया। यदि आप इसे सामान्य बात मानते हैं तो कर्नाटक के लोगों को भारत सरकार के बारे में क्या सोचना चाहिए? वे यह महसूस करते हैं कि केन्द्र सरकार कर्नाटक राज्य की मदद नहीं करना चाहती क्योंकि कर्नाटक राज्य में दूसरी पार्टी का शासन है। कर्नाटक के लोग यही महसूस करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पानी है ही नहीं। पानी के सभी तालाब (टैंक) सूखे गये हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

श्री प्रहलाद जोशी : आप भी सूचना दे सकते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : आपको उन्हें उत्तर नहीं देना है।

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष महोदया, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। वे भी सूचना देकर बोल सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया अपनी बात जारी रखिये।

श्री प्रहलाद जोशी : मेरा एक मात्र यही अनुरोध है। बार-बार ज्ञापनों, अनुरोधों के पश्चात्, सभा में इस मुद्दे को उठाने के पश्चात्, प्रधानमंत्री से मिलने के पश्चात् और दो दलों का दौरा हो जाने के पश्चात् जब कर्नाटक राज्य को कोई राहत प्रदान नहीं दी गई तो मात्र हम ही इस मुद्दे को सभा में उठा रहे हैं और हम ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। इस सबके साथ-साथ ही हमने भारत सरकार को भी राज़ी करने का प्रयास किया। अथवा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की हमारी मंशा कभी भी नहीं रही। दुर्भाग्यवश खरीफ संबंधी राहत, जिसको दिसंबर के दौरान निर्धारित कर लिया जाना था, का निर्धारण अब तक नहीं किया गया है। छह माह से अधिक की अवधि बीत चुकी है। अतः, हम इस मुद्दे और भारत सरकार के प्रश्न को इस सम्माननीय सभा में उठाने को मजबूर हुये हैं। हमने राहत पाने का हर संभव प्रयास किया।

प्रारंभ में, कर्नाटक सरकार ने 2700 करोड़ रु. की मांग की थी किन्तु कुल हानि 5900 करोड़ से अधिक की है। ऐसे हालात में, सरकार से मेरा अनुरोध है कि एनडीआरएफ में से 1500 करोड़ रु. की राशि बतौर अंतरिक राहत के तत्काल निर्मुक्त की जाये। मेरी पहली मांग यही है। दूसरी बात यह है कि 3 लाख टन खाद्यान्न और 57200 मीट्रिक टन गेहूं तुरन्त निर्मुक्त करना होगा।

सरकार से मेरा दूसरा अनुरोध फसल के नुकसान, चाहे यह बाढ़ के दौरान हो या सूखे अलावा प्राकृतिक आपदा की वजह से हो, हेतु राहत प्रदान किये जाने संबंधी मानदंडों के बारे में है। सीआरएफ मात्र 2000 रु. प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अल्प राशि मुहैया कराता है और कुछ मामलों में यह राशि 3000 रु. प्रति हैक्टेयर है। इसका अर्थ यह है कि फसल के प्रति हैक्टेयर नुकसान हेतु यह 800 रु. से 1000 रु. तक की राशि से कम है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इसमें वृद्धि की जाये। कृषि लागत 8000 रु. प्रति हैक्टेयर से अधिक है।

महोदया, वर्षा की प्रत्याशा में बुआई पहले ही कर दी गई थी। यह दोहरा नुकसान हो गया था। सीआरएफ के मानदंडों के अनुसार, राहत 2000 रु. से 3000 रु. प्रति हैक्टेयर तक है। इस मानदंड को बदलना होगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने पहले ही कह दिया

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

*

*

क्र

क्र

*

क्र

*

क्र

क्र

क्र

क्र

*

*

क्र

*

*

*

*

*

क्र

क्र

क्र

क्र

*

*

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

*

*

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

I

I

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

क्र

II

क्र

क्र